



286/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.orgपत्रांक : 5034 /28/76/एक/2018-19
सेवा में,

दिनांक : 06 नवम्बर 2018

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-कानपुर नगर।विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एच०डी०एफ०सी० बैंक	02981000135746	IFSC Code HDFC0000298	510.734

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	कानपुर नगर	म०ब०-83	न०नि० कानपुर नगर	वार्ड नं०-31 के अन्तर्गत मो० अहिरवा बस्ती में मनोज यादव के मकान से कषि सहायता केन्द्र तक, रामबाबू गौतम के मकान से अम्बिका प्रसाद साहू के मकान तक वियरेन्द्रर के मकान से छेदी के मकान तक भगवानदीन के मकान से अम्बेडकर मूर्ति तक, इन्द्रपाल यादव के मकान से अरुण साहू के मकान होते हुए सुशील कुमार सेनी के मकान तक, आर०एस० यादव के मकान से सिद्धनाथ के मकान तक, राम कुमार गौतम मकान से रजौल कुशवाहा के मकान तक, बुद्धू सिंह यादव के मकान से जगरूप यादव के मकान तक जगरूप यादव के मकान से राम बाबू कुशवाह के मकान तक, गोलू विश्वकर्मा के मकान से भोला नाथ कुशवाह के मकान तक, सुरेश कुमार के मकान से जगदेव यादव के मकान तक, जगरूप यादव के मकान से एस०आर०मिश्रा के मकान से छेदी लाल कुशवाह के मकान तक, जमुना के मकान से श्री प्रकाश के मकान तक एन्टी कास्मेटिक शाप से नरेश के मकान तक अरुण साहू के मकान से सुशील कुशवाह के मकान तक, छेदी लाल के मकान से प्रकाश के मकान तक शिव प्रसाद के मकान से जगरूप के मकान तक, सुशील कुशवाह के मकान से चन्दा देवी के मकान तक, सरजू देवी के घर से बब्लू शर्मा के मकान होते हुये चन्दा देवी एवं नरेन्द्र श्रीवास्तव के घर तक, उर्मिला देवी के घर से नन्हा प्रसाद कुशवाह के	100.167



286/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

				मकान तक, ईशा हर्बल ब्यूटी पार्लर से बच्चन लाल कुशवाह के मकान होते हुए प्रकाश कुशवाह के मकान तक, मंशीलाल कुरील के घर से रमेश के मकान तक, ओम प्रकाश के मकान से रज्जन के मकान तक, रमेश के घर से अवधेश गुप्ता के मकान तक, रोशनलाल कुरील के मकान से राधेश्याम गौतम के मकान तक, सी०पी० सिंह के मकान से राजू अवस्थी के मकान तक, अजय गौतम के मकान से लालता प्रसाद गौतम के मकान तक, श्रद्धा प्रोविजन स्टोर से रतना देवी कुशवाहा के मकान तक, आदित्य जनरल स्टोर से पिन्टू ठाकुर के मकान तक, कमलेश साहू के मकान से राजा के मकान तक संयोगिता वर्मा के मकान से भारती विद्या मन्दिर होते हुये दिलीप कुमार के मकान तक, जयराम पाल के मकान से माया जनरल कन्फैक्शनरी तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
2	कानपुर नगर	म०ब०-83	न०नि० कानपुर नगर	वार्ड नं०-21 के अंतर्गत मौ० नारायणपुरी नौबस्ता पार्ट ए में रज्जन अवस्थी के घर से श्री राम सविता के मकान तक, बाबा हरदेव से आर०पी० यादव के मकान तक, आर०पी० यादव के मकान से मेन रोड तक, अवध विहारी के घर से जुगराज सिंह के घर तक जुगराज सिंह के मकान से मेन रोड तक आर०वी० सचान के मकान से विनोद के मकान तक, मेप रोड से शुभम किराया भण्डार तक, मेनन रोड बाला जी से अशोक कुमार के मकान तक, जे०एन० पाल के मकान से म दास वर्मा के मकान तक, एस०के० द्विवेदी के मकान से राकेश कुशवाहा तक मकान तक, राकेश कुशवाहा के मकान से पूजा नमकीन तक, मोनू परिमार के मकान से रवि दुबे के मकान तक, रवि दुर्गे के मकान से मेन रोड तक, गुड्डु के मकान से सज्जनलाल के मकान तक, सुरेन्द्र दीक्षित के मकान से महेन्द्र प्रताप सिंह के मकान तक, रामकिशोर गुप्ता के मकान से कमलेश निषाद के मकान तक, डी०एस०तोमर के मकान से कैलाश गुप्ता के मकान तक, राजू शुक्ला के मकान से आदित्य मिश्रा के मकान तक एवं अशोक राठौर के मकान से रामसेवक सविता के मकान तक, सौहार्द कास्मेटिक से पुष्कर मिश्रा के मकान तक, इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	74.139
3	कानपुर नगर	म०ब०-83	न०नि० कानपुर नगर	वार्ड नं०-44 के अंतर्गत मौ० विसायकपुर कछार में आर०पी०पाण्डेय के मकान से रवि कुमार के मकान के आगे तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.592
4	कानपुर नगर	म०ब०-83	न०नि० कानपुर नगर	वार्ड नं०-44 के अंतर्गत मौ० विसायकपुर कछार में ब्रजेन्द्र मिश्रा के मकान से कान्ती कश्यप के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.963
5	कानपुर नगर	म०ब०-83	न०नि० कानपुर	वार्ड नं०-44 के अंतर्गत मौ० विसायकपुर कछार में	8.457



286/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

			नगर	जमुना प्रसाद के मकान से श्रीमती भाग्यवन्ती के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
6	कानपुर नगर	म०ब०-83	न०नि० कानपुर नगर	वार्ड नं०-44 के अंतर्गत मौ० विसायकपुर कछार में अजय पाण्डेय के मकान से प्रतिभा दीक्षित के मकान तक एवं अजय पाण्डेय से संजय सिंह तथा जितेन्द्र सिंह के मकान से रामचन्द्र शर्मा के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	13.025
7	कानपुर नगर	म०ब०-83	न०नि० कानपुर नगर	वार्ड नं०-44 के अंतर्गत मौ० विसायकपुर कछार में सुरेन्द्र कुमार मिश्रा के मकान से गंगा प्रसाद के मकान तक एवं एल०बी० बाजपेई से अजीत सिंह एवं श्याम जी अवस्थी से श्रीवास्तव तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.248
8	कानपुर नगर	म०ब०-83	न०पा०पा० घाटमपुर	वार्ड नं०-03 के अन्तर्गत मो० जवाहर नगर द्वितीय में श्री बीरबल के मकान से राजेश प्रजापति के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	10.734
9	कानपुर नगर	म०ब०-83	न०पा०पा० घाटमपुर	वार्ड नं०-01 के अन्तर्गत मो० नौबस्ता पश्चिमी में इकलाक के घर से शीतल साहू के घर एवं बी०के० स्कूल वाली गली में इण्टरलॉकिंग पेवर रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.499
10	कानपुर नगर	म०ब०-83	न०पा०पा० घाटमपुर	वार्ड नं०-20 के अन्तर्गत मो० कृष्णा नगर में महावीर पाण्डेय के मकान से जनता महाविद्यालय के पूर्वी गेट तक इण्टरलॉकिंग पेवर रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	13.021
11	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं०-62 के अन्तर्गत मोहल्ला सावित्री नगर सनिगवां में राम भरोसे वेल्डिंग के मकान से बजरंग बली के मन्दिर तक, रौशन लाल से फाजिल, करी से सुधाकर शर्मा, मिलन पाल से साहिद अहमद, बजरंग बली के मन्दिर से रणधीर सिंह, पूनम ब्यूटी पार्लर से सीताराम वेल्डिंग, सर्वेश सिंह चौहान से महताब, प्रबुद्ध तिवारी से संजय शर्मा के मकान होते हुए मेन रोड तक, गंगाराम से गुलाब सिंह के मकान एवं पास की गलियों तक, एस०के०सिंह से सुरेश एवं राम प्रकाश के मकान से सुशील साहू के मकान तक तथा हरिशंकर के मकान से बृजेश के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	80.073
12	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं०-65 के अन्तर्गत मोहल्ला संजय गांधी नगर में भारत ट्रेलर्स से अलंका गुप्ता होते हुए अंकित शुक्ला तक, हरीराम वर्मा के सामने से मिथलेश गौतम तक, अतर सिंह से सूरलबली के मकान होते हुए शुभम शुक्ला तक, मेन रोड दीक्षा इन्वर्टर से अनिल शुक्ला के मकान तक, अलंका गुप्ता से सरल किशोर के मकान होते हुए अमन बाजपेई के मकान तक, राजेन्द्र प्रसाद तिवारी के मकान से रोड तक,	109.317



286/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

				अशोक गुप्ता से सुशील कुमार गुप्ता के मकान होते हुए आर०के०शुक्ला के मकान तक, अलोक कुशवाहा से राजनरायण, राजू अवस्थी से अरूण, वीरेन्द्र द्विवेदी से राजहोम्यो चिकित्सालय, पंचमुखी हनुमान मन्दिर से शुभम अमराव के मकान होते हुए अमेश मिश्रा के मकान तक, बाबा शिव हनुमान मन्दिर से महादेव प्रसाद तिवारी, कैलाश शुक्ला से पंकज शर्मा, राकेश कुमार द्विवेदी से जयराम मिस्त्री, पिन्दू तिवारी से अविनाश चन्द्र मिश्रा, महेश सैनी से चुन्नी लाल, अविनाश चन्द्र मिश्रा से दिनेश चन्द्र सैनी, अविनाश चन्द्र मिश्रा से महावीर पाल, प्रमोद पाल से अग्रसेन गुप्ता, श्रवण कुमार पाण्डेय से घनश्याम शुक्ला के मकान होते हुये ज्ञान सिंह यादव के मकान तक, दिनेश सैनी से जगदीश गुप्ता, ज्ञान सिंह से पृथ्वी पाल साहू एवं अजब सिंह यादव के मकान से मनीष बाजपेई के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
13	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं०-46 के अंतर्गत मौ० शंकराचार्य नगर यशोदा नगर में कंकराशेवर मन्दिर से नरेन्द्र त्रिपाठी के घर से प्रेमू शुक्ला के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	7.749
14	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं०-46 के अंतर्गत मौ० शंकराचार्य नगर यशोदा नगर में सुधीर द्विवेदी के मकान से ब्रजेश के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	6.868
15	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं०-46 के अंतर्गत मौ० शंकराचार्य नगर में सतेन्द्र सिंह गौतम के मकान से गणेश शंकर मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	6.237
16	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं०-63 के अंतर्गत मौ० राजीव विहार, यशोदा नगर में म०न० 117 कन्हैया लाल तिवारी से म०न० 119/62 पप्पू सविता के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	14.738
17	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं०-63 के अंतर्गत मौ० राजीव विहार, यशोदा नगर में लक्ष्मी विद्या मन्दिर से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.836
18	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं०-63 के अंतर्गत मौ० राजीव विहार, यशोदा नगर में दीपू द्विवेदी के मकान से भरद्वाज भवन तक एवं ओ०पी० शुक्ला के मकान से शनि शर्मा के मकान होते हुए कुलदीप के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.275
19	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं०-07 के अन्तर्गत मो० आछी मोहाल में सुशील के मकान से शांति निकेतन तथा कानपुर मार्ग तक इण्टरलाकिंग पेवर रोड एवं नाली निर्माण	12.884



28615

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र.सं.	नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	कार्य।	अंश
20	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड न०-05 के अन्तर्गत मो० अशोक नगर दक्षिणी में भूपेन्द्र सचान के घर से राजा सिंह के घर तक एवं विवेक शुक्ला के घर से शिव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग पेवर रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	13.912
	योग				510.734

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद् में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



28616

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक